बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ0 सं0–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–26/2017.....08..... पटना, दिनांक–.....5.1.18

कार्यालय आदेश

संवेदक, मेसर्स साई हाइवे एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0, बोरिंग रोड, पटना निबंधन संख्या–BSEIDCL/80/2016 द्वारा महिला आई0टी0आई0, हाजीपुर (प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैन्टीन, प्राचार्य एवं उप प्राचार्य आवास) के निर्माण कार्य के निविदा में भाग लिया गया।

दिनांक–22.09.2017 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में विषयांकित कार्य के निविदा के निष्पादन के क्रम में तकनीकी बीड मूल्यांकण समिति द्वारा अनुशंसित तकनीकी बीड की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त समिति ने पाया कि संवेदक, मेसर्स साई हाइवे एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0, बोरिंग रोड, पटना ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक–7725 दिनांक–29.06.17 द्वारा डिबार किए गये हैं तथा इन्हें तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया है। इस प्रकार संवेदक, साई हाइवे एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0, बोरिंग रोड, पटना द्वारा डिबार रहने संबंधी तथ्य को छुपाया गया है।

दिनांक–22.09.2017 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में उक्त संवेदक के विरूद्व निविदा की डिबार से संबंधित तथ्य छुपाने के आरोप में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–06.11.2017 को कालीकृत/निलंबन के संबंध में बैठक आहुत की गयी। उक्त बैठक में संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक–11322(भ)अनु0, दिनांक–15.12.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। दिनांक–19.12.17 को संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब उपलब्ध कराया गया। अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–20.12.2017 को पुनः कालीकृत/निलंबन के संबंध में बैठक आहुत की गयी। उक्त बैठक में संवेदक के स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए संवेदक के निबंधन संख्या–BSEIDCL/80/2016 को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 की कंडिका–11(क) के उप कंडिका (VII) के तहत पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए भवन निर्माण विभाग के सभी कार्यो से निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः संवेदक, मेसर्स साई हाइवे एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0, बोरिंग रोड, पटना के निबंधन संख्या–BSEIDCL/80/2016 को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 की कंडिका–11(क) के उप कंडिका (VII) के तहत पत्र निर्गत की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए भवन निर्माण विभाग के सभी कार्यो से निलंबित किया जाता है।

ह0/- 4/1/18
—(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

निबंधित

ज्ञापांकः– भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–26/2017.....143(भ)..... पटना, दिनांक–.....5.1.18

प्रतिलिपिः–संवेदक, मेसर्स साई हाइवे एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0, 208 वर्मा सेन्टर, बोरिंग रोड, पटना-800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 4/1/18
—अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–26 / 2017 143 (अ) पटना, दिनांक– 5.1.18
प्रतिलिपिः– BSEIDCL, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/1/18
— अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–26 / 2017 143 (अ) पटना, दिनांक– 5.1.18
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/1/18
— अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः– भवन–13 / अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन / कालीकृत–26 / 2017 143 (अ) पटना, दिनांकः– 5.1.18
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/1/18
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
5/1/18